निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 169/2017 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एल आई सी हाउसिंग फाईनेन्स लि. जयपुर सी–98, उपासना टावर, सुभार्ष मार्ग सी स्कीम जयपुर

प्रार्थी

बनाम

अभिजित यादव निवासी प्लाट नं. 119, आनन्द नगर, सिरसी रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–
श्री आर.के.भार्गव, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12-9-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.05.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अभीजीत यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति भूमि एवं भवन नम्बर 120, ऑरिक विलाज, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज को बन्धक रख कर 41,11,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.05.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः पंजाब केशरी एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 06.06.2017 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अभीजीत यादव के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति भूमि एवं भवन नम्बर 120, ऑरिक विलाज, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 12-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर